[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 74/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 2019

सा.का.नि.......(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 4/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक के लिए, देय तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 19 दिसंबर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में दे दिए है ।"।

2. यह अधिसूचना 19 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 75/2018-केंद्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 1252(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी ।